राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 47/2006

माफी मन्दिर श्री सीताराम जी स्थान मांगरोल जर्ये पुजारी रामावतार पुत्र [illegible] जाति ब्राहमण निवासी मांगरोल जिला बारां

.......प्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गतधारा 136 आर0एल0आर0 एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील प्रार्थी : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

दायरा दिनांकः 12.05.2005 निर्णय दिनांक : 10.05.2018

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 102 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा खसरा नं0 103 रकबा 10 बिस्वा खसरा नं0 229 रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा खसरा नं0 223 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा खसरा नं0 224 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा खसरा नं0 225 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा खसरा नं0 226 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा खसरा नं0 228 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा खसरा नं0 104 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 9 रकबा 29 बीघा 18 बिस्वा वाके माल किशनपुरा तह0 मांगरोल में स्थित है। भूप्रबंध विभाग द्वारा बन्दोबस्त करने के बाद उपरोक्त वर्णित आराजी क्रमशः नवीन खसरा नं0 130 रकबा 0.22 है0 खसरा नं0 131 रकबा 0.9 है0, खसरा नं0 206/825 रकबा 1.39 है0, खसरा नं0 207/911 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 205 रकबा 0.56 है0, खसरा नं0 204 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 213 रकबा 0.39 है0, खसरा नं0 207/912 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 212 रकबा 0.55 है0, खसरा नं0 134 रकबा 0.30 है0 कुल किता 10 रकबा 3.95 है0 दौराने सैटलमेंट राजस्व कार्मिको ने प्रार्थी मूर्ती की आराजी को लगभग प्रत्येक खसरा नं0 में से कम करते हुए लगभग 5 बीघा 3 बिस्वा आराजी कम कर दी है। अतः प्रार्थी की उक्त आराजी में दौराने सेटलमेंट जो कमी रकबा हुआ है उसे पूर्ती की जाकर प्रार्थी के खाते दर्ज किया जावें।

क्त आशय का वाद पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 12.05.2005 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। लदार मांगरोल को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल जो की लैण्ड ल्डर है व राज्य सरकार का पैरोकार है ने अपनी जांच रिपोर्ट पत्र कमांक/भू0अ0/2018/3 दिनांक 10.05.2018 से प्रस्तुत की। तहसीलदार मांगरोल ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकन किया कि मुताबिक प्रार्थना पत्र वादी माफी मन्दिर श्री सीतारामजी मांगरोल जर्ये पुजारी रामवतार पुत्र रामनिवास ब्राहमण निवासी मांगरोल के नाम वर्तमान राजस्व रेकार्ड में पूर्व भू–प्रबंध रिकार्ड के मुकाबले मुताबिक मिलान क्षेत्रफल रकबा साबिक के मुकाबले कम अंकन किया गया है। लेकिन वाद पत्र के साथ वादी ने साबिक व हाल भू–प्रबंध के नक्शे की प्रमाणित नकल जिससे वादपत्र के मुताबिक रकबा कम बेशी होने का पता चल सकें पेश नही किये है। ऐसी सूरत में अपूर्ण दस्तावेजो के कारण कोई राहत देय नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज करने की अनुशंषा की जाती है।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने ग्राम किशनपुरा में स्थित आराजी दर्ज मंदिर श्री सीतारामजी विराजमान मांगरोल किता 10 रकबा 3.95 है0 में दौराने सेटलमेंट कमी रकबे की पूर्ति किये जाने हेतु निवेदन किया है, संलग्न दस्तावेज एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है कि रिपोर्ट में अंकन किया की वाद पत्र के साथ वादी ने साबिक व हाल भू–प्रबंध के नक्शे की प्रमाणित नकल जिससे वादपत्र के मुताबिक रकबा कम बेशी होने का पता चल सकें पेश नही किये है। ऐसी सूरत में अपूर्ण दस्तावेजो के कारण कोई राहत देय नही है और ना ही प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट किया है कि कमी रकबे की पूर्ति किस खसरा नं0 से की जानी है। अतः कमी रकबे की पूर्ति किया जाना संभव नही है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प किशनपुरा मजमेंआम में सुनाया गया।